न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. राजेश गोयल, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 85/2018

जीसीएमएस नम्बर : 2018/00435

प्रार्थी:– **बनाम** **अप्रार्थीगण :–**

1. चुनाराम पुत्र नवाजी जाति मारू कुम्हार निवासी ग्राम बालराई तहसील रानी जिला पाली (राज.)

1. खेताराम पुत्र नेमाजी जाति मारू कुम्हार निवासी ग्राम बालराई तहसील रानी जिला पाली (राज.)
2. सरपंच जरिये ग्राम पंचायत बालराई पंचायत समिति रानी जिला पाली (राज.)

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री जगदीश कुमार।
2. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री अर्जुनसिंह राजपुरोहित।

–: निर्णय :–

दिनांक : 20.5.2024

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत बालराई द्वारा जारी मिसल संख्या 40 दिनांक 08.09.2007 प्रस्ताव संख्या 01 दिनांक 27.10.2007 की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 खेताराम पुत्र नेमाजी के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 212 दिनांक 16.10.2007 के विरूद्ध पेश की है। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि ग्राम बालराई तहसील रानी जिला पाली की आबादी भूमि में रामीणों का बास में अप्रार्थी संख्या 1 का पट्टासुदा भूखण्ड आया हुआ है। जिसके पड़ौस मिसल संख्या 40/08.09.2007 में दर्शाये अनुसार है तथा जिसका कुल क्षेत्रफल 11571 वर्गफीट है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जिस भूखण्ड पर पट्टा संख्या 212/2007–08 जारी करवाया गया है, उसी भूखण्ड पर पूर्व में ग्राम पंचायत बालराई द्वारा अन्य पट्टा संख्या 05/12.08.1964 जारी किया जिसकी मिसल संख्या 65/1964 है। उक्त पट्टा पूर्व में पनीया पुत्र चिमना जाति मारू कुम्हार के नाम से जारी हुआ था व भौतिक रूप से भी उसी का कब्जा था। पनीया की मृत्यु के पश्चात उक्त भूखण्ड पर पनीया के पुत्र लालाराम व राजाराम का कब्जा था। लालाराम ने अपने हिस्से का 1/2 भाग सुजाराम पुत्र चिमना को जरिये रजिस्टर्ड बेचान कर दिया तथा इसके पश्चात सुजाराम ने अप्रार्थी संख्या 1 को मुखियार मुकर्रर किया तथा अप्रार्थी संख्या 1 ने अपनी पत्नी के नाम पुनः रजिस्टर्ड बेचान कर दिया। अप्रार्थी संख्या 1 को विवादित भूखण्ड के संबंध में जानकारी होते हुए भी, राजाराम से उसके हिस्से का भूखण्ड खरीद किए बगैर ही सम्पूर्ण भूखण्ड का पट्टा अपने नाम जारी करवा दिया। ग्राम पंचायत ने पूर्व में जारी पट्टा संख्या 5 की जांच किये बिना ही उसी पर जैर निगरानी पट्टा जारी कर दिया। जैर निगरानी पट्टा जारी

अति. जिला कलक्टर, पाली

करने में ग्राम पंचायत ने पंचातयी राज नियमों की पालना नहीं की है इसलिये जैर निगरानी पट्टा काबिल निरस्त है। अधिवक्ता प्रार्थी ने इसके सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टान्त RLW 2010(2) 968, RLW 2013(1) 243, RLW 1995(3) 1478, WLC 1010(1) 472, RLW 2012(2) 109 पेश कर जैर निगरानी को स्वीकार करने निवेदन किया है।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि प्रार्थी को उक्त पट्टे की निगरानी पेश करने का कोई अधिकार नहीं है। ग्राम पंचायत बालराई द्वारा मिसल संख्या 65/1964 द्वारा पनीया पुत्र चिमना को पट्टा संख्या 05/12.08.1964 जारी किया गया। पनीया की मृत्यु के पश्चात उक्त भूखण्ड पर पनीया के पुत्र लालाराम व राजाराम का कब्जा था। लालाराम ने अपने हिस्से का 1/2 भाग अप्रार्थी संख्या 1 को बेच दिया। उक्त पट्टे के आधे भाग की रजिस्ट्री करवाई हुयी है तथा आधे भाग पर अप्रार्थी का कब्जा है। मेरे कब्जासुदा भूखण्ड पर प्रार्थी द्वारा निर्माण कार्य किये जाने पर मेरे द्वारा सक्षम न्यायालय से अनुतोष चाहा गया था। प्रार्थी ने जैर निगरानी पट्टे की निगरानी दिनांक 04.10.2018 को पेश की जो 11 वर्ष बाद आये है अतः जैर निगरानी म्याद के बिन्दु पर ही खारिज योग्य है। है। अधिवक्ता अप्रार्थी ने इसके सम्बन्ध में बेचाण व पंचो द्वारा लिखत, बिजली के बिल तथा न्यायिक दृष्टान्त पेश कर जैर निगरानी को खारिज करने निवेदन किया है।

उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन एवं ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जैन निगरानी ग्राम पंचायत बालराई द्वारा जारी मिसल संख्या 40 दिनांक 08.09.2007 प्रस्ताव संख्या 01 दिनांक 27.10.2007 की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 खेताराम पुत्र नेमाजी के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 212 दिनांक 16.10.2007 के विरूद्ध पेश की है। अप्रार्थी ने ग्राम पंचायत बालराई के समक्ष बिना दिनांक का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी का पुस्तैनी मकान जिसका पूर्व में पट्टा बना हुआ है जिसमें नियमानुसार प्रक्रिया नही अपनाई गयी है इसलिये नियमानुसार पट्टा जारी करावे। जिसकी पालना में ग्राम पंचायत द्वारा मिसल कायम की जाकर आज्ञा दिनांक 18.09.2007 को ग्रुप सचिव को जैर आराजी का नक्शा बनाकर पेश करने हेतु निर्देशित किया गया तथा आज्ञा दिनांक 20.09.2007 अनुसार 2 वार्ड पंचो द्वारा मौका निरीक्षण किया गया जबकि राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 146 (2) के अन्तर्गत – सचिव, ऐसी सभी लम्बित फाइलों को स्थल–निरीक्षण के लिए तीन पंचो की कोई समिति प्रतिनियुक्त करने के लिए पंचायत की आगामी बैठक में रखेगा। जिससे स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 146 की अक्षरशः पालना नहीं की गयी है।

राज. पंचायती राज. नियम 1996 के नियम 148(2) के अनुसार जारी आपत्ति ईश्तहार दो प्रतियों में तैयार किया जाकर उसकी एक प्रति विक्रय हेतु प्रस्तावित भूमि पर किसी सहजदृश्य स्थान पर लगायी जायेगी, दूसरी प्रति परिक्षेत्र के कम से कम दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों के, उसे ऐसे लगाये जाने के प्रमाणस्वरूप हस्ताक्षर होने चाहिये जबकि ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी पट्टा जारी करने के सम्बन्ध में दिनांक 26.09.2007 को जारी आपत्ति ईश्तहार पर किसी भी गवाह के हस्ताक्षर नहीं है और न ही पंचायत की मोहर लगी हुई है। आज्ञा दिनांक 26.09.2007 में अंकितानुसार कब्जा सत्यापन हेतु दो मुखयों के बयान लिए जावे जबकि जैर निगरानी पट्टा जारी करने की मिसल के संलग्न किसी भी गवाह के बयान फार्म नहीं है।

अति. जिला कलक्टर, पाली

जैर निगरानी पट्टे से सम्बन्धित बैठक कार्यवाही रजिस्टर का अवलोकन पर पाया कि आज्ञासूची की दिनांक 18.09.2007, 20.09.2007, 26.09.2007 तथा दिनांक 16.10.2007 का बैठक कार्यवाही रजिस्टर में अंकन नहीं है अर्थात् बैठक कार्यवाही रजिस्टर में आज्ञासूची की किसी भी दिनांक का अंकन नहीं है जबकि बैठक कार्यवाही रजिस्टर के पेज अनवरत है। जिससे स्पष्ट है कि जैर निगरानी पट्टा जारी करते समय ग्राम पंचायत की किसी भी प्रकार की बैठक नहीं हुई है। ग्राम पंचायत ने राज. पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157 के तहत अप्रार्थी को जैर निगरानी पट्टा जारी किया जिसका क्षेत्रफल 11571 फूट है जबकि राज. पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157 अनुसार –

(i) 300 वर्गगज तक के क्षेत्रफल के लिये या 300 वर्गगज अधिकतम क्षेत्रफल के अध्यधीन रहेतु हुये 25 प्रतिशत संनिर्मित क्षेत्रफल को सम्मिलित करते हुये संनिर्मित क्षेत्रफल –

(क) इन नियमों के प्रारम्भ की तारीखे से पूर्व, पचास रू. 100/– वर्षो से अधिक पूर्व में संनिर्मित पुराने गृहों के लिये

(ख) 31 दिसम्बर, 2016 के ठीक पूर्ववर्ती सत्तर वर्षों के रू. 200/– दौरान संनिर्मित पुराने गृहों के लिये

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो के अवलोकन से ज्ञात होता है कि जैर निगरानी पट्टे का पूर्व में भी पनीया पुत्र चिमना निवासी बालराई के नाम पट्टा जारी हो चुका है जिसके पट्टा संख्या 05/12.08.1964 एवं मिसल संख्या 65/1964 है तथा उक्त पट्टे का क्षेत्रफल भी 11571 फूट है। अर्थात ग्राम पंचायत ने पूर्व में जारी पट्टे पर ही नया पट्टा जारी कर दिया है, जो विधि विरूद्ध होने से खारिज योग्य है।

अतः यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी पट्टा जारी करते समय राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 140 से 160 में दी गई प्रक्रिया की अक्षरशः पालना नही कर अप्रार्थी संख्या 01 को नियम विरूद्ध पट्टा जारी किया है, जो विधि सम्मत नही होने से खारीज योग्य है।

लालाराम पुत्र पन्नाजी ने जैर निगरानी पट्टे के आधे हिस्से का जरिये पंजीबद्ध विक्रय विलेख दिनांक 07.08.1996 को सूजाराम पुत्र चिमनाजी के पक्ष मे कर दिया। अप्रार्थी संख्या 1 ने जरिये मुख्तीयार उक्त भूखण्ड के उसी आधे हिस्से का बेचाण जरिये पंजीबद्ध विक्रय विलेख अपनी पत्नी के पक्ष में कर दिया। अप्रार्थी संख्या 1 की पत्नी के पक्ष में जैर निगरानी भूखण्ड का आधा हिस्सा होने के उपरान्त भी ग्राम पंचायत द्वारा सम्पूर्ण भूखण्ड का जैर निगरानी पट्टा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी कर दिया जो विधि सम्मत नही होने से खारीज योग्य है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी द्वारा पूर्व में बने पट्टे का पुनः पट्टा बनाने हेतु बिना दिनांक का प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिसकी पालना में ग्राम पंचायत द्वारा मिसल कायम की जाकर आज्ञा दिनांक 20.09.2007 अनुसार 2 वार्ड पंचो द्वारा मौका निरीक्षण किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी पट्टा जारी करने के सम्बन्ध में दिनांक 26.09.2007 को आपत्ति ईश्तहार जारी किया गया जिस पर किसी भी गवाह के हस्ताक्षर नहीं है और न ही पंचायत की मोहर लगी हुई है तथा न ही जैर निगरानी पट्टा के सम्बन्ध में किसी गवाह के बयान फार्म है। उक्त भूखण्ड का पूर्व

में पनीया पुत्र चिमना के नाम ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया हुआ था। उक्त भूखण्ड के आधे हिस्से का बेचान हो जाने के उपरान्त भी ग्राम पंचायत द्वारा पुनः उसी भूखण्ड का समान क्षेत्रफल का जैर निगरानी पट्टा जारी कर दिया गया, जो विधि विरूद्ध होने से खारिज योग्य है।

परिणाम स्वरूप अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत बालराई द्वारा मिसल संख्या 40 दिनांक 08.09.2007 प्रस्ताव संख्या 01 दिनांक 27.10.2007 की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 खेताराम पुत्र नेमाजी के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 212 दिनांक 16.10.2007 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की सत्य प्रतिलिपि के साथ ग्राम पंचायत का रेकर्ड लौटाया जावे।

(डॉ राजेश गोयल)
अति. जिला कलेक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 20/5/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ राजेश गोयल)
अति. जिला कलेक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर, पाली